

प्राइमरी स्कूलों में नियुक्त किए जाएंगे संस्कार शिक्षक

अशोक भारद्वाज/नरेंद्र भाकर



हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का मुख्य द्वार। संवाद

भिवानी/बवानीखेड़ा। नई शिक्षा नीति के तहत जल्द ही प्राइमरी स्कूलों में संस्कार शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। ये अध्यापक हर रोज दो घंटे विद्यार्थियों को पढ़ाएंगे। इन अंशकालिक अध्यापकों की भर्ती के लिए विभाग की ओर से जल्द ही विज्ञापन जारी किया जाएगा। नए सत्र से अध्यापक स्कूलों में शिक्षा देते नजर आएंगे।

केश कला एवं कौशल विकास बोर्ड के निदेशक नरेश सेलपाड़ ने बताया कि कौशल विकास बोर्ड की ओर से बेरोजगारी पर लगाम कसने और युवाओं को रोजगार देने के लिए संस्कार शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। नई शिक्षा नीति के तहत जल्द ही सभी प्राइमरी स्कूलों में भी संस्कार अध्यापक भी नियुक्त किए जाएंगे। ये

अध्यापक स्कूल एजुकेशन और साक्षरता मिशन भारत सरकार के प्रोजेक्ट के तहत मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर अफेयर व देश की एक नामी संस्था के तत्वावधान में सभी प्राइमरी स्कूलों में नियुक्त किए जाएंगे। इसके लिए सिलेबस भी तैयार किया जा रहा है। ये अध्यापक अंशकालिक होंगे। ये अध्यापक हर रोज दो घंटे ही विद्यार्थियों को पढ़ाएंगे। इसके लिए विभाग द्वारा जल्द ही आवेदन प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

संस्कार अध्यापकों को दिया जाएगा 9240 रुपये वेतन

संस्कार अध्यापकों को 9240 रुपये के आसपास वेतनमान दिया जाएगा। यदि एक गांव में एक स्कूल है तो उनकी ड्यूटी उसी स्कूल में होगी। यदि गांव में दो प्राइमरी स्कूल हैं तो अलग-अलग दिनों या एक-एक घंटा दोनों स्कूलों में सेवाएं देनी होंगी। किसी बड़े गांव या कस्बे में दो से अधिक प्राइमरी स्कूल होने पर वहां एक से अधिक अध्यापकों की नियुक्तियां की जाएगी।

बोर्ड ने इन शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता 12वीं कक्षा पास रखी है। आवेदक की आयु नियुक्ति नियमों के अनुरूप 18 से 42 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। हालांकि एससी, एसटी या भूतपूर्व सैनिकों या उनके आश्रितों, स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों को इसमें तीन वर्ष की छूट रहेगी। इसके अलावा इसमें 33 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। आवेदक को दसवीं एवं बारहवीं कक्षा के दस्तावेजों की

फोटोकॉपी जिनमें 12वीं कक्षा में 50 प्रतिशत अंक अनिवार्य, आधार कार्ड, दो पासपोर्ट साइज फोटो, बैंक खातों की छायाप्रति, आयु संबंधित छूट के लिए एससी, एसटी या भूतपूर्व सैनिकों या उनके आश्रितों, स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों से संबंधित साक्ष्य भी जमा करवाने होंगे। इसमें श्रेणी विशेष की छूट के लिए भी अन्य जाति या अधिक शैक्षणिक योग्यता के दस्तावेज भी संलग्न किए जा सकते हैं। संवाद